न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०–2, गाजियाबाद।

पीठासीन अधिकारीः गौरव शर्मा (उच्चतर न्यायिक सेवा)
JO Code UP 6276
दाण्डिक निगरानी सं0– 485/2024
पंजीयन सं०– 490/2024
CNR No.– UPGZ010134282024

इकराम पुत्र अब्दुल अजीज, निवासी– गली नं० 1 मुस्तफा मस्जिद के पास हबीबगढ़, थाना– कुतुबशेर सहारनपुर, हाल निवासी– रूप कालोनी थाना कुतुबशेर सहारनपुर।

.... प्रार्थी/रिविजनकर्ता

बनाम

1– सरकार (उत्तर प्रदेश) द्वारा डी०जी०सी० क्रिमिनल।
2– अन्जुम पुत्री स्व० इस्लाम सैफी निवासी– म०नं०–333 निकट बिलाल मस्जिद पसौण्डा, थाना– टीला मोड जिला– गाजियाबाद।

.... उत्तरदातागण/विपक्षीगण

निर्णय

1– निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी परिवाद सं० 78/2024 अन्जुम बनाम इकराम आदि, थाना– टीलामोड़, जनपद गाजियाबाद में अपर सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०–02, गाजियाबाद द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 27–05–2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी ।

2– निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी इन आधारों पर प्रस्तुत की गयी है कि वाद उक्त में मा० अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांकित 27.05.2024 वाद पत्र व वाद उक्त की वादिया श्रीमती अन्जुम के बयान अ० धारा–200 सी०आर०पी०सी० व वाद उक्त के गवाह जो वाद उक्त की वादिया का सगा भाई जीशान सैफी के बयान अ० धारा–202 सी०आर०पी०सी० में विरोधाभास है। उक्त विरोधाभास का अवलोकन किये बिना ही पारित किया गया है। मा० अवर न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रश्नगत आदेश पारित करते समय न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया गया है महज रूटीन में ही प्रश्नगत आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 27.05.2024 उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत है व असंवैधानिक है। वाद उक्त की वादिया द्वारा निगरानीकर्ता व उसके परिवार के विरूद्ध मु०अ०सं० 660/2023 अ० धारा– 498A,323,504,,506,376 आई०पी०सी० थाना–टीलामोड़ दर्ज कराया हुआ है जिसमें इन्वेस्टीगेशन जारी है। वाद उक्त की वादिया द्वारा जो सामान निगरानीकर्ता व उसके परिवार को शादी में देना बता रहे हैं वाद उक्त की वादिया द्वारा उक्त सामान की जो लिस्ट दाखिल की गई है उस लिस्ट पर न तो निगरानीकर्ता और न ही उसके परिवार के कोई हस्ताक्षर है और न ही वाद उक्त की वादिया द्वारा उक्त दिये गये सामान का कोई बिल मुकदमे में दाखिल किया गया है। वाद उक्त महज निगरानीकर्ता व उसके परिवार पर दबाव बनाने की मंशा से किया गया है। निगरानीकर्ता ने इस निगरानी के अतिरिक्त अन्य कोई निगरानी मा० उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की है। अतः उपरोक्त कारणों के आधार पर अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 27.05.2024 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

3– उक्त निगरानी के समर्थन में निगरानीकर्ता द्वारा अपना शपथ पत्र(कागज सं०–4 ख) व प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश(कागज सं०–8 ख/2) व अन्य प्रपत्र प्रस्तुत किये।

4– विपक्षी संख्या– 2 अन्जुम पुत्री स्व० इस्लाम सैफी द्वारा कागज संख्या 21 ख प्रस्तुत कर उक्त फौजदारी निगरानी के संबंध में लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गई तथा उक्त निगरानी को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

5– निगरानीकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं तथा विगत कई तिथियों पर भी निगरानीकर्ता अनुपस्थित रहा है। मैंने विपक्षी/उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) को सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

6– निगरानी के अन्तर्गत प्रश्नगत आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य और कार्यवाहियों की नियमितता के विषय में देखा जाना होता है।

7– अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 27.05.2024 के परिशीलन से यह विदित है कि विद्वान अपर सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०–2, गाजियाबाद द्वारा परिवादी का परिवाद स्वीकार कर अभियुक्त इकराम पुत्र अब्दुल अजीज को अंतर्गत धारा–406 भा०दं०सं० के अंतर्गत विचारण हेतु तलब किये जाने का आदेश पारित किया था।

8– पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी/रिविजनकर्ता उक्त निगरानी विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 27.05.2024 के विरूद्ध योजित की गई है। आलोच्य आदेश दि० 27.05.2024 में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता इकराम पुत्र अब्दुल अजीज को अंतर्गत धारा–406 भा०दं०सं० के अंतर्गत विचारण हेतु तलब किया गया था, जिसके विरूद्ध निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी योजित की गई है। पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि निगरानीकर्ता विगत कई तिथियों से उपस्थति नहीं आ रहा है।

आलोच्य आदेश दिनांकित का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामले में निगरानीकर्ता के विरूद्ध मु०अ०सं० 0660/2023, धारा–498A, 323, 504, 506, 376 भा०दं०सं० व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसके संबंध में परिवादनी अंजुम ने अपने बयान अंतर्गत धारा–200 दं०प्र०सं० में भी यह कथन किया है कि "मेरा पूरा सामान ससुराल में है, मांगने पर वापस नहीं दे रहे हैं। मेरी गाड़ी व जेवर सारे बेच दिये व बाकी सामान तोड़ दिया।" अतः उपरोक्त समस्त विश्लेषण व विपक्षी/पीडिता अंजुम के बयान अंतर्गत धारा–200 व साक्ष्य अंतर्गत 202 दं०प्र०सं० से विदित है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में कोई अवैधानिक, अनियमितता या अशुद्धता प्रतीत नहीं होती है। निगरानी बलहीन है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांकित– 27.05.2024 में हस्तक्षेप की कोई आवश्यक्ता परीलक्षित नही होती हैं। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निरस्त की जाती है तथा विद्वान अपर सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०–2, गाजियाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 27.05.2024 पुष्ट किया जाता है।

इस आदेश की एक प्रति अविलम्ब विद्वान अपर सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०–2, गाजियाबाद को वापस भेजी जाए।

दिनांक 19.03.2026

(गौरव शर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–2,
गाजियाबाद।

आज यह निर्णय/ आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 19.03.2026

(गौरव शर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–2,
गाजियाबाद।